



INDIA NON JUDICIAL



IN-UP41092056052032V

Government of Uttar Pradesh

121

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP41092056052032V
Certificate Issued Date	: 12-Oct-2023 05:04 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1414800477492317627957V
Purchased by	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: GATA NO-142 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
Consideration Price (Rs.)	: 2,49,480
First Party	: UMA SHANKAR AGRAHARI SO RAM MURTI AGRAHARI
Second Party	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Paid By	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 2,49,480 (Two Lakh Forty Nine Thousand Four Hundred And Eighty only)



Please write or type below this line

Comin



[Signature]

उप विव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443575

Statutory Alert

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.stamps.gov.in or using a Stamp Mobile App.
2. The date of the issue of the certificate is not the date of the stamp.
3. In case of any discrepancy please refer to the Competent Authority.





142/2



उप निविद
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु यशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निम्नलिखित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
142	1662690142000012	0.0990
143	1662690143000012	0.0990

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0990 व 0.0990 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
142	0.0990	गा0सं0-238 नाली	गा0सं0-141	घकमार्ग गा0सं0-142	गा0सं0-143
143	0.0990	गा0सं0-238 नाली	गा0सं0-141	गा0सं0-142	गा0सं0-144

142/2

उप निविद
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
142	0.0990	उमा शंकर अग्रहरी	राममूर्ति अग्रहरी	0.0990	2178000.00	2178000.00
143	0.0990	उमा शंकर अग्रहरी	राममूर्ति अग्रहरी	0.0990	1386000.00	1386000.00
			योग	0.1980	3564000.00	

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 249480.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
उमा शंकर अग्रहरी	राममूर्ति अग्रहरी	753945329699	AAOPU5953G	9415183035	व्यवसाय	7/20/91फ्लोड गंज सदर अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।




उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।
- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	उमा शंकर अग्रहरी	राममूर्ति अग्रहरी	बैंक ऑफ इंडिया फतेहगंज अयोध्या।	BARB0FATFAI	22260100015885	3584000.00

कुल धनराशि शब्दों में-

(पैंतिस लाख हजार चौसठ हजार रुपये मात्र)



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature and official stamp.
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित ने गवहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
निशान्त कुमार अग्रहरी	उमा शंकर अग्रहरी	9935996079	व्यवसाय	7/20/91 फतेहगंज सदर अयोध्या।



हस्ताक्षर

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्

प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वय रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उद्घाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6665

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3564000 स्टाम्प शुल्क- 249480 बाजारी मूल्य - 3564000 पंजीकरण शुल्क - 35640 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 35700

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/10/2023 एवं
05:35:33 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
12/10/2023

निबंधक लिपिक
12/10/2023



(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सन्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (घासी सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0132	143	0.0990		3564000.00	-	-
0047	142	0.0990		-	-	-

भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
		3564000.00	उना शंकर अग्रहरी	राममूर्ति अग्रहरी	7/20/91फतेहगंज सदर अयोध्या।

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।



(Handwritten Signature)

इस पत्र को
क्रय निकाय पंजीकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008135

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6665

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3564000 स्टाम्प शुल्क- 249480 बाजारी मूल्य - 3564000 पंजीकरण शुल्क - 35640 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 60 योग: 35700

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/10/2023 एवं
05:35:33 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहादल
अयोध्या
12/10/2023

निबंधक लिपिक
12/10/2023

प्रिंट करें




• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	उमा शंकर अग्रहरी	राममूर्ति अग्रहरी	7/20/81 फतेहगंज सदर अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
निरान्त कुमार अग्रहरी	उमा शंकर अग्रहरी	9935996079	व्यवसाय	7/20/81 फतेहगंज सदर अयोध्या।	

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।





उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6665

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विशेषता: 1

श्री उमारांकर अप्रहरी, पुत्र श्री राममूर्ति अप्रहरी

निवासी: 7/20/91 फतेहगंज सदर अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिसे पहचान
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2





श्री निशान्त कुमार अप्रहरी, पुत्र श्री उमारांकर अप्रहरी

निवासी: 7/20/91 फतेहगंज सदर अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

ने उक्त प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगुठेनिर्णयानुसार
लिखे गये हैं।
दिप्पणी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
12/10/2023


निबंधक लिपिक अयोध्या
12/10/2023

प्रिंट करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु यशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातोदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
142	उमा शंकर अग्रहरी	रामनृति अग्रहरी	0.0990	
143	उमा शंकर अग्रहरी	रामनृति अग्रहरी	0.0990	

निष्पादन का दिनांक:- 12/10/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।





उप सचिव
अर्थिक विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008135

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3156 के पृष्ठ 143 से 160 तक क्रमांक
6665 पर दिनांक 12/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
12/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



Government of Uttar Pradesh

IN-UP41021008258255

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP41021008258255V

Certificate Issued Date : 12-Oct-2023 04:27 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP-1414800477639268695619V

Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : GATA NO-113 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : MOHD WASEEM SO MOHD YASIN AND OTHERS

Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,57,530
(Two Lakh Fifty Seven Thousand Five Hundred And Thirty only)



Please write or type below this line

Handwritten signatures and names in Hindi script, including 'मोहम्मद' and 'सुचिव'.

सुचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443574

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.stampcert.gov.in or using the Stamp, Verify, App of Stamp Ministry, Govt of India. 2. The details on the Certificate and its availability on the website / Mobile App for verification.
2. The issue of check of the authenticity is on the back of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु
चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया
है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
113	1662690113000012	0.1400
231	1662690231000012	0.1740

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.028 व 0.1392 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
113	0.028	गा0सं0-114	गा0सं0-112	चकमार्ग गा0सं0-111	गा0सं0-122
231	0.1392	गा0सं0-233	चकमार्ग गा0सं0-230	गा0सं0-122	गा0सं0-232

सालोन

मो. मोनीन



उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या




7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
113	0.028	हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यासीम	0.028	616000.00	616000.00
231	0.1392	हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यासीम	0.0696	1531200.00	1531200.00
		मो० मुलीम उर्फ मो० मोफीम	मो० यासीम	0.0348	765600.00	765600.00
		मो० यसीम उर्फ मो० वसीम अंसारी	मो० यासीम	0.0348	765600.00	765600.00
			योग	0.1672	3678400.00	3678400.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 257530.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यासीम	703262684564		9129242728	ग्रहणी	किरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
मो० मुलीम उर्फ मो० मोफीम	मो० यासीम	538767673342	APIPA6227J	9129842728	नजदूरी	किरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
मो० वसीम उर्फ मो० यसीम अंसारी	मो० यासीम	723660121419	AAUPW7981R	8429808642	नजदूरी	किरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।







10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

Handwritten signatures and three circular official seals are present at the bottom of the page.

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यारीज	एच.डी.एफ.सी बैंक अयोध्या।	HDFC0000862	50100655612322	2147200.00
2	मो० नुकीम उर्फ मो नोकीम	मो० यारीज	एक्सिस बैंक अयोध्या।	UTIB0004429	923010041782342	765600.00
3	मो० वसीम उर्फ मो० वसीम अंसारी	मो० यारीज	एच.डी.एफ.सी बैंक अयोध्या।	HDFC0000862	50100660098370	765600.00
				योग		3678400.00

कुल धनराशि शब्दों में- (छत्तीस लाख अठ्ठहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।




 सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
सुहेला दानो	मशूब अहमद	9918063941	ग्रहणी	फिरोजपुर उपरहार सोडायल अयोध्या।



सुहेला दानो



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात् प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:



उपरीचर
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूबद्ध कोई बात या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्वयन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (संयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

उपरोक्त
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
 (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (वारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0077	113	0.028		3678400.00	-	-
0077	231	0.1392				
भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण			
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता	
08	09	10	11			
		3678400.00,	हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यासीन	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			मो० मुकीम उर्फ मो मोकीम	मो० यासीन	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			मो० दसीम उर्फ मो० वसीम अंसारी	मो० यासीन	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	

मो० यासीन

मो० यासीन

मो० यासीन

मो० यासीन

उप अधिकारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008133

विक्रय पत्र

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6666

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3678400 स्टाम्प शुल्क- 257530 बाजारी मूल्य - 3679000 पंजीकरण शुल्क - 36790 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 धोग : 36870

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/10/2023 एवं
05:45:02 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
12/10/2023

निबंधक लिपिक
12/10/2023

प्रिंट करे



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यासीम	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
2	मो० मुकीम उर्फ मो० मोकीम	मो० यासीम	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
3	मो० वसीम उर्फ मो० वसीम अंतारी	मो० यासीम	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्रीमती सुहेला बानो, पुत्री श्री मसूद अहमद

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

سیدہ بانو



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या

12/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

12/10/2023


ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षिणों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी :

प्रिंट करे



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
सुहेला बानो	मसूद अहमद	9918063941	ग्रहणी	किरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

صبا خانم



मो. मोनीष



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 6666

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्रीमती हुसना खातुन उर्फ हुसना, पत्नी श्री मो यासीन

निवासी: चिरा मोहम्मद तह0 सोहावल अयोध्या


व्यवसाय: गृहिणी 

विक्रेता: 2



श्री मो मुक़ीम उर्फ मो मोकीम, पुत्र श्री मो यासीन

निवासी: चिरा मोहम्मद तह0 सोहावल अयोध्या


व्यवसाय: कृषि 

विक्रेता: 3




श्री मो वसीम उर्फ मो वसीम अंसारी, पुत्र श्री मो यासीन

निवासी: चिरा मोहम्मद तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि 

विक्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या





व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2






हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु दशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।


गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
113	हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यासीम	0.028	
231	हुसना खातुन उर्फ हुसना	मो० यासीम	0.0696	
231	मो० मुलीम उर्फ मो मोलीम	मो० यासीम	0.0348	
231	मो० वसीम उर्फ मो० वसीम अंसारी	मो० यासीम	0.0348	

निष्पादन का दिनांक:- 12/10/2023
स्थान - सोहावल, अयोध्या।






अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



आवेदन सं०: 202300904008133

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3156 के पृष्ठ 161 से 182 तक क्रमांक
6666 पर दिनांक 12/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
12/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



123

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP41152352523975V
 12-Oct-2023 05:49 PM
 NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-F2B
 SUBIN-UPUP1414800477516086747860V
 AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Article 23 Conveyance
 GATA NO-77 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI
 TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 RAJESH SO RAM PRATAP AND OTHERS
 AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 8,36,080
 (Eight Lakh Thirty Six Thousand And Eighty only)



Please write or type below this line

नि० के० मू०



श्री रामेश

नि० के० मू०



श्री राजेश

नि० के० मू०



श्रीमती शान्ती

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443576

Statutory Alert

- The authenticity of this E-stamp certificate should be verified on www.e-stamp.com or using e-Stamp Mobile App (Android / iOS) and the details of the details of the Certificate and as available on the website / Mobile App holders if any.
- The issue of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any dispute/errata please inform the Competent Authority.






विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु धनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
77	1662690077000012	0.0910
96मि.	1662690096200112	0.1090
97मि.	1662690097200112	0.0840
98	1662690098000012	0.2920

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.5760 हेक्टेयर




 उप निबन्धक
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी-


गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
77	0.0910	नाली गाटा संख्या 91	गाटा संख्या 79 व 80	गाटा संख्या-78 व 78	गाटा संख्या-81
96मि.	0.1090	नाली गाटा संख्या 99	चकमार्ग गाटा संख्या 93	गाटा संख्या-94 व 95	गाटा संख्या-97
97मि.	0.0840	नाली गाटा संख्या 99	चकमार्ग गाटा संख्या 93	गाटा संख्या-96	गाटा संख्या-98
98	0.2920	नाली गाटा संख्या 99	चकमार्ग गाटा संख्या 93	गाटा संख्या-97	चकमार्ग गाटा संख्या-106

7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का (रु० हेक्टेयर) (सकिल दर का 4 गुना)	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
77	0.0910	राजेश	राम प्रताप	0.030333	4,24,666.67	4,24,666.67
		रमेश	राम प्रताप	0.030333	4,24,666.67	4,24,666.67
		शान्ती	राम प्रताप	0.030333	4,24,666.67	4,24,666.67
96मि.	0.1090	राजेश	राम प्रताप	0.036333	7,99,333.33	7,99,333.33
		रमेश	राम प्रताप	0.036333	7,99,333.33	7,99,333.33
		शान्ती	राम प्रताप	0.036333	7,99,333.33	7,99,333.33



राजेश



राम प्रताप



शान्ती

अधीक्षक
अधीक्षक विकास प्राधिकरण, अयोध्या



97मि.	0.0840	राजेश	राम प्रताप	0.042000	9,24,000.00	9,24,000.00
		रमेश	राम प्रताप	0.042000	9,24,000.00	9,24,000.00
98	0.2920	राजेश	राम प्रताप	0.146000	32,12,000.00	32,12,000.00
		रमेश	राम प्रताप	0.146000	32,12,000.00	32,12,000.00
			योग-	0.5760	1,19,44,000.00	1,19,44,000.00

8 - अदा किया गया स्तान्य शुल्क का विवरण - रु0 8,36,080.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राजेश	राम प्रताप	5552 4571 5188	CRRV0953K	9987133722	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या
रमेश	राम प्रताप	4238 3549 6423		9935470629	मजदूरी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या
शान्ती	राम प्रताप	2084 0429 4127	RTWPS32088	7318036906	ग्रहणी	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या



नि.डा. राजेश



नि.डा. रमेश



नि.डा. शान्ती

उप सचिव
असौध्म विकास प्रवर्धन, अयोध्या




10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण--

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज, उपसचिव, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार	-	AAALA0206C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनो



नि.अ. राजेश



नि.अ. रमेश



नि.अ. शान्ति

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

1000



1000

के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।

ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजेश	राम प्रताप	Baroda U.P. Bank	BARB08UPGBX	55300100001241	53,60,000.00
2	रमेश	राम प्रताप	Baroda U.P. Bank	BARB08UPGBX	55300100022812	53,60,000.00
3	शान्ती	राम प्रताप	Baroda U.P. Bank	BARB08UPGBX	55080100006847	12,24,000.00
				Total :		1,19,44,000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (एक करोड़ उन्नीस लाख चवालिस हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा।

प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति बसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।



 राजेश रमेश शान्ती



 सहायक सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के सम्मक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
साधू सरन	केशरी	8931891114	कृषि	फिरोजपुर छपरहार सोहावल अयोध्या



साधू साखी



साधू साखी

साधू साखी

साधू साखी

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग - 13 संख्या - 2/2015/215 एक - 13-2015-20(48)/2011
दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए
समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप
संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस
आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात्


प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे एतदपश्चात् क्रय निकाय कहा गया है)
के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूँकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका
विवरण अनुसूची में दिया गया है।

और चूँकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज
से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव
अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के
भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा
करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची
में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस
समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि
का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य
व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी
धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा
और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय
निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई
किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको
भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि
पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय
की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के
लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।



सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, २



- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।
- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
 - (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
 - (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
 - (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

उप सचिव
अधोक्त विवरण प्रतिकरण, अधोक्त


नि.अ. नादेश
नि.अ. अमेश
नि.अ. शान्ति

चिक्रय पत्र

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6667

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 11944000 स्टाम्प शुल्क- 836080 बाजारी मूल्य - 11944000 फंजीकरण शुल्क - 119440 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 119520

श्री अपोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अपोध्या विकास प्राधिकरण अपोध्या



श्री, अपोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/10/2023 एवं
06:15:14 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अपोध्या
12/10/2023

निबंधक लिपिक
12/10/2023

प्रिंट करें



अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
85	77	0.0910	-	12,74,000.00	-	-
85	96मि.	0.1090	-	23,98,000.00	-	-
87	97मि.	0.0840	-	18,48,000.00	-	-
86	98	0.2920	-	64,24,000.00	-	-

मूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11		
-	-	53,60,000.00	राजेश	राम प्रताप	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या
-	-	53,60,000.00	रमेश	राम प्रताप	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या
-	-	12,24,000.00	शान्ती	राम प्रताप	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या



 नि.डा. राजेश
 नि.डा. रमेश
 नि.डा. शान्ती


 उप-सचिव
 औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्री साधु सरन, पुत्र श्री केशरी


निवासी: फ़िरोज़पुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

साधु सरन



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या

12/10/2023


निबंधक लिपिक अयोध्या

12/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिपि गए है।

टिप्पणी:

प्रिंट करें



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


● भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	
1	2	3	4	
1	राजेश	राम प्रताप	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	
2	रमेश	राम प्रताप	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	
3	शान्ती	राम प्रताप	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	


गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
साधू सरन	केशरी	8931891114	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या	

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,


मि.रा. राजेश
मि.रा. शान्ती
मि.रा. साधू सरन


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6667

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्री राजेश, पुत्र श्री राम प्रताप

निवासी: फिरोजपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 2



श्री रमेश, पुत्र श्री राम प्रताप

निवासी: फिरोजपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

विक्रेता: 3



श्रीमती शान्ती, पत्नी श्री राम प्रताप

निवासी: फिरोजपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी


क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



Handwritten signature or mark.

अयोध्या।

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	
77	राजेश	राम प्रताप	0.030333	
	रमेश	राम प्रताप	0.030333	
	शान्ती	राम प्रताप	0.030333	
96मि.	राजेश	राम प्रताप	0.036333	
	रमेश	राम प्रताप	0.036333	
	शान्ती	राम प्रताप	0.036333	
97मि.	राजेश	राम प्रताप	0.042000	
	रमेश	राम प्रताप	0.042000	
98	राजेश	राम प्रताप	0.146000	
	रमेश	राम प्रताप	0.146000	

निष्पादन का दिनांक:- 12/10/23.
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

  
निष्ठा राजेश
निष्ठा रमेश
निष्ठा शान्ती


उप निष्ठा
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008136

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3156 के पृष्ठ 183 से 206 तक क्रमांक
6667 पर दिनांक 12/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
12/10/2023





बड़ौदा यू.पी. बैंक
Baroda U.P. Bank

Customer ID : 606308764
Account No : 553300100022612

A/c Holder : MR. RAHESH SO RAM PRAJAP

Occupation : AGRICULTURIST

Operation Mode : SELF

Home Address : F11MULSUR UPRAJAP, SHIROA,

FALJOGAD

FALJOGAD

224188

Signature added

: YES

A/c Open Date

: 18-09-2023



BRANCH MANAGER/BRANCH MANAGER

उपयोगी सूचनाएं/ Useful Tips:

1. चरित्रगत सुधार से चरित्र कक्षा में सुधार आसानी से हो सकता है।
2. चरित्र कक्षा में सुधार से आप अपने बैंक खाते को अपडेट नियमित रूप से कर सकते हैं।
3. चरित्र कक्षा में सुधार से आप अपने बैंक खाते को अपडेट नियमित रूप से कर सकते हैं।
4. चरित्र कक्षा में सुधार से आप अपने बैंक खाते को अपडेट नियमित रूप से कर सकते हैं।
5. चरित्र कक्षा में सुधार से आप अपने बैंक खाते को अपडेट नियमित रूप से कर सकते हैं।
6. चरित्र कक्षा में सुधार से आप अपने बैंक खाते को अपडेट नियमित रूप से कर सकते हैं।
7. चरित्र कक्षा में सुधार से आप अपने बैंक खाते को अपडेट नियमित रूप से कर सकते हैं।
8. चरित्र कक्षा में सुधार से आप अपने बैंक खाते को अपडेट नियमित रूप से कर सकते हैं।

अगर आप अपनी जानकारी को और अधिक से अधिक बनाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।
हमारे पास है, पता: 18, फाल्जोगाद, बड़ौदा, गुजरात।
हमारे पास है, पता: 18, फाल्जोगाद, बड़ौदा, गुजरात।
हमारे पास है, पता: 18, फाल्जोगाद, बड़ौदा, गुजरात।





गौरव सिंह



गोविन्द सिंह



सौम्या सिंह



रानी सिंह



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण

भेखण्ड का स्थानिय विवरण - विक्रय पत्र (अंश) पत्र

भेखण्ड का स्थानिय विवरण - अंश

ग्राम का नाम - फिरोजापुर उपखण्ड

पट्टा नं - अजबगरी 148 खोलाका

स्थानिय विवरण गाटा सं 257/0.2060 ई

मेसेरिफिकल अंश 0.925252

— अंश की - 257 चक भाउजी सिआग्राम मला

पश्चिम गाटा सं 257

उत्तर गाटा सं 256

दक्षिण गाटा सं 258

गौरव सिंह

गोविन्द सिंह

सौम्या सिंह रानी सिंह



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

शुद्धिपत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6668

वर्ष: 2023

प्रतिफल: 0 स्टाम्प शुल्क - 100 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 40 योग: 140

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/10/2023 एवं
07:15:03 PM बजे
निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबन्धक :सोहावल
अयोध्या
12/10/2023

निबन्धक लिपिक
12/10/2023

प्रिंट करें





मुकेश सिंह
जवाहर सिंह

प्रथम पक्ष की सत्या व नाम - 9+9+9+9=4

गौरव सिंह पुत्र मुसाफिर सिंह
गोविन्द सिंह पुत्र मुसाफिर सिंह
मीमा सिंह पत्नी मुसाफिर सिंह
शानी सिंह पत्नी जिलेन्द्र सिंह
नि. सुलापुर वृणा मण्डल सी लह साक्षर लक्ष्मी देवा
द्वितीय पक्ष कला की सत्या व नाम - 9

अपोद्धा विकास प्राधिकरण अपोद्धा द्वारा
आश्रित स्वार्थीम काडा पुत्र श्रीहरद सुका
विकास प्राधिकरण अपोद्धा

जवाहर नं. 1 - मुकेश सिंह पुत्र स्व. जगदीश सिंह
पत्नी सुलापुर व मण्डल सी
लह साक्षर लक्ष्मी देवा

जवाहर नं. 2 अमर सुकाश पुत्र स्व. राजकुमारी
पुत्राद
अपोद्धा विकास प्राधिकरण अपोद्धा

गौरव सिंह गोवि. सिंह मीमा सिंह शानी सिंह



उप सचिव
अपोद्धा विकास प्राधिकरण

श्री मुकेश सिंह, पुत्र श्री जनार्दन सिंह

निवासी: सलारपुर तहऽ सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
12/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
12/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी :

प्रिंट करें



उच्चतम लेखकता पूर्व राजस्थान कूल

वे-नामा कही साल्वा 9 जिल्द 20

की 24 के पुठ 929 से 982 तक

क्रमांक 6668 का दिनांक 92/90/2023

के राजस्थान कूल उपनिव-दिक महकम
मेहतावज आरा राजस्थान कूल दफ्तरा

मे सुधम पक्षा गाँव सिंह कुल

मुसाफिर सिंह (पत्रिका मुकाना)

के पत्रा में व्यापार अंकित

है। जो कि लखिपूर

श्रीराम सिंह

गोवि-द सिंह

सीमा सिंह

रानी सिंह

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6668

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
प्रथम पक्ष: 1

श्री गौरव सिंह, पुत्र श्री मुसाफिर सिंह

निवासी: सलारपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी *गौरव सिंह*

प्रथम पक्ष: 2



श्री गोविन्द सिंह, पुत्र श्री मुसाफिर सिंह

निवासी: सलारपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: अध्यापन *गोविन्द सिंह*

प्रथम पक्ष: 3



श्रीमती सीमा सिंह, पत्नी श्री मुसाफिर सिंह

निवासी: सलारपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी *सीमा सिंह*

प्रथम पक्ष: 4



श्रीमती रानी सिंह, पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह

निवासी: सलारपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी *रानी सिंह*

द्वितीय पक्ष: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया *अजित की पहचान*
पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



Signature

है जब कि गालप में उनका
पेशा नौकरी वर्तमान में

कार्यरत है उक्त मुक्ति

नं. 9 का पेशा व्यापार

में सम्भूत का नौकरी

पदा लिखा व सम्भूत जाति

सम्भूत शताब्दी राज उपस्थित के बीच

उक्त (पुत्र शरद कुमार) शब्द लिखा है

उक्त संशोधन पत्र 1/1/1901 का

दिनांक 9-2-1901/2023 व नकोस नरेन्द्र कुमार (4/1/1901)

गोविन्द सिंह

गोविन्द सिंह

सीमा सिंह

राजी सिंह



सयसचिव

जनसंख्या विभाग प्राधिकरण, अयोध्या

दिनांक 9-2-1901/23

उक्त लेखक का नाम नरेन्द्र कुमार पाठक
अपि सं० 71/200 दिनांक 3-2-2023 तक
धिमन्य जिला और स्थान उप निबन्धक कार्यालय
महाबल जिला-अयोध्या सी गरी फीस रु०

नरेन्द्र कुमार

आवेदन सं०: 202300904008140

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3156 के पृष्ठ 207 से 216 तक क्रमांक
6668 पर दिनांक 12/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
12/10/2023



Handwritten marks or scribbles in the top right corner.





गौड



श्री विन्दि सिंह



श्रीमती सीमा सिंह



श्रीमती रानी सिंह



उपस्थित

अयोध्या विकास प्राधिकरण, सोहावल

3p image 2023-10-03 at 11:25

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु ग्रहणित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या 258	गाटा की यूनिट आई.डी. 1662690258000012	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) 0.2070
--------------------	--	------------------------------------

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.15525 हेक्0

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
258	0.15525	चकमार्ग सोमाग्राम सलारपुर	गा0सं0-268	गा0सं0-257	गा0सं0-259

गौड सिंह

श्री विन्दि सिंह

श्रीमती सीमा सिंह श्रीमती रानी सिंह

उपस्थित

अयोध्या विकास प्राधिकरण, सोहावल



Handwritten marks or numbers in the top right corner, possibly including the number '10'.



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गारा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
258	0.15525	गौरव सिंह	मुसाफिर सिंह	0.0345	759000.00	759000.00
		गोविन्द सिंह	मुसाफिर सिंह	0.0345	759000.00	759000.00
		सीमा सिंह	मुसाफिर सिंह	0.0345	759000.00	759000.00
		रानी सिंह	जितेन्द्र सिंह	0.05175	1138500.00	1138500.00
			योग	0.15525	3415500.00	3415500.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 239120.00

9 - विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
गौरव सिंह	मुसाफिर सिंह	533633927060	KIPS 7122D	9936610880	मजदूरी	सलारपुर विरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
गोविन्द सिंह	मुसाफिर सिंह	233869113974	KIPS 7122B EVN PS5 720K	8795535111	मजदूरी	सलारपुर विरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
सीमा सिंह	मुसाफिर सिंह	949883813271	DUJPS0846C	9450860096	ग्रहणी	सलारपुर विरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
रानी सिंह	जितेन्द्र सिंह	584172056592	EVEPS0284K	7991840157	ग्रहणी	सलारपुर विरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।

गौरव सिंह

गोविन्द सिंह

सीमा सिंह

रानी सिंह

उपस्थित
सलारपुर विरा मोहम्मदपुर, अयोध्या

100
100



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7807778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 / 1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

गौर सिंह

गोविन्द सिंह

सीमा सिंह रानी सिंह

उपसचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- अ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	गोचर सिंह	मुसाफिर सिंह	बैंक ऑफ़ इंडिया अयोध्या।	BARB0SAHADA	39740100011289	759000.00
2	गोविन्द सिंह	मुसाफिर सिंह	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया अयोध्या।	SBIN0011229	31735741658	759000.00
3	सौमा सिंह	मुसाफिर सिंह	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया अयोध्या।	SBIN0011229	30444411843	759000.00
4	रानी सिंह	जितेन्द्र सिंह	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया अयोध्या।	SBIN0011229	36200698679	1138500.00
				Total-		3415500.00

कुल धनराशि शब्दों में- (चौत्तिस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में याद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

गोचर सिंह

गोवि-र सिंह

सौमा सिंह रानी सिंह

उपनिर्देशक

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:
हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजवली प्रसाद	7607778903	नीकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
MUJIB ULLAH SINGH	DANARJAN SINGH	90444 94400	Army	119 F8 Hosp C10 S6 APO 90341



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात् प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

गौरा सिंह

मोहिन्द सिंह

सीमा सिंह

रानी सिंह



उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten marks or numbers in the top right corner.



द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्द कोई बात या भूवद्द किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, नले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्धन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

गोहर सिंह

गोविन्द सिंह

सीमा सिंह रानी सिंह

उपसचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

1000







- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (घारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0054	258	0.15525		3415500.00	-	-
भूदत्त अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)		व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)			नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10		11		
		3415500.00		गौरव सिंह	मुसाफिर सिंह	सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
				गोविन्द सिंह	मुसाफिर सिंह	सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
				सोमा सिंह	मुसाफिर सिंह	सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
				रानी सिंह	जितेन्द्र सिंह	सलारपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।



विक्रय पत्र

पृथी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6664

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3415500 स्टाभ्य शुल्क- 239120 बाजारी मूल्य - 3416000 पंजीकरण शुल्क - 34160 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग: 34240

श्री अपोष्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अपोष्या विकास प्राधिकरण अपोष्या



श्री, अपोष्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 12/10/2023 एवं
04:51:16 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अपोष्या
12/10/2023

निबंधक लिपिक
12/10/2023

प्रिंट करे




नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	गौरव सिंह	मुसाफिर सिंह	सलारपुर बिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	गौरव सिंह
2	गोविन्द सिंह	मुसाफिर सिंह	सलारपुर बिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	गोविन्द सिंह
3	सीमा सिंह	मुसाफिर सिंह	सलारपुर बिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	सीमा सिंह
4	रानी सिंह	जितेन्द्र सिंह	सलारपुर बिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	रानी सिंह

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	
आम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

गौरव सिंह

गोविन्द सिंह

सीमा सिंह

रानी सिंह

हृषीकेश
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



श्री मुकेश सिंह, पुत्र श्री जनार्दन सिंह

निवासी: सतारपुर चिरमोहम्मदपुर तहसीला सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या

12/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

12/10/2023


ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी:

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
MUKESH SINGH	JANARDHAN SINGH	90444 94400	Army	VIJAYHOSP C/OSGAPD 903449	


क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

~~गौरव सिंह~~

श्री विन्ड सिंह श्रीमती रानी सिंह


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6664

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री गौरव सिंह, पुत्र श्री मुसाफिर सिंह

निवासी: सतारपुर चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार *गौरव सिंह*

विक्रेता: 2



श्री गोविन्द सिंह, पुत्र श्री मुसाफिर सिंह

निवासी: सतारपुर चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार *गोविन्द सिंह*

विक्रेता: 3




श्रीमती सीमा सिंह, पत्नी श्री मुसाफिर सिंह

निवासी: सतारपुर चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी *सीमा सिंह*

विक्रेता: 4



श्रीमती रानी सिंह, पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह

निवासी: सतारपुर चिरा मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी *रानी सिंह*

विक्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबंसी प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



Handwritten mark

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
258	गौरव सिंह	मुत्ताफिर सिंह	0.0345	गौरव सिंह
	मोदिन्व सिंह	मुत्ताफिर सिंह	0.0345	मो वि-इ. सिंह
	सीमा सिंह	मुत्ताफिर सिंह	0.0345	सीमा सिंह
	रानी सिंह	जितेन्द्र सिंह	0.05175	रानी सिंह

निष्पादन का दिनांक:- 12/10/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

गौरव सिंह

मो वि-इ सिंह

सीमा सिंह

रानी सिंह



उप निवेद
अयोध्या विकास अधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008125

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3156 के पृष्ठ 121 से 142 तक क्रमांक
6664 पर दिनांक 12/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
12/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



125

Government of Uttar Pradesh

IN-UP39743395783380V

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP39743395783380V
 Certificate Issued Date : 11-Oct-2023 03:26 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800475094407271485V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-118 MAUJA-FIROZPUR UPARHAR.PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : DURGA PRASAD SO RAM AYADH AND OTHERS
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 3,85,000
 (Three-Lakh-Eighty-Five Thousand only)



Please write in type below this line

न.अ. 21-10-2023



उमेश कुमार



निचले गुरु



शंभू प्रसाद

समवेत
 आयुक्त विकास प्राधिकरण, सोहावल

राजेश चंद्र

Blurred signature

0013443560

Statutory Alerts:

1. The authenticity of the e-Stamp certificate should be verified at www.eshampay.com or using e-Stamp Mobile App at Book Printing. Any discrepancy in the details on the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The seal certifying the legitimacy is on the terms of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Development Authority.





नि.अ. शान्ती देवी



नि.अ. रामभूषण



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु घयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
118	1662690118000012	0.2500

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.2500 हेक्टा

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
118	0.2500	चकमार्ग सीमाग्राम सलारपुर	चकमार्ग गा0सं0-116/30 5	चकमार्ग गा0सं0-106	गा0सं0-119



नि.अ. शान्ती देवी



उप निबन्धक



नि.अ. रामभूषण



भक्ति चन्द

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100
100




7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
118	0.2500	शान्ती देवी	राम अय्य	0.0625	1375000.00	1375000.00
		दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव	राम अय्य	0.0625	1375000.00	1375000.00
		शम्भूनाथ उर्फ शम्भू यादव	राम अय्य	0.0625	1375000.00	1375000.00
		मोलेन्द्र	राम अय्य	0.0625	1375000.00	1375000.00
			योग	0.2500	5500000.00	5500000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 385000.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
शान्ती देवी	राम अय्य			7880620553	ग्रहणी	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव	राम अय्य	393922310273	BCDPY2075D	7880620553	मजदूरी	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
शम्भूनाथ उर्फ शम्भू यादव	राम अय्य	499052815776		7880620553	मजदूरी	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
मोलेन्द्र उर्फ मोलेन्द्र यादव	राम अय्य	661043215938	BGUPY3847A	951928201	मजदूरी	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।



 शान्ती देवी
 दुर्गा प्रसाद यादव
 शम्भूनाथ यादव
 मोलेन्द्र यादव



 उप-सचिव
 अर्थिक विकास प्राधिकरण, अयोध्या



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	का पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अमिलेख विक्रय विलेख का अंश है।



श्री शरद कुमार

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अ

1000



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	शान्ती देवी	राम अग्रव	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100022663	1375000.00
2	दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव	राम अग्रव	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100004303	1375000.00
3	रामनाथ उर्फ रामू यादव	राम अग्रव	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100021223	1375000.00
4	मोहन उर्फ मोहन यादव	राम अग्रव	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या।	BARB0BUPGBX	55300100013443	1375000.00
				Total-		5500000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (पच्चापन लाख रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवाश में निम्नलिखित दो गवोंहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।



 1. श्री. शान्ती देवी
 2. श्री. दुर्गा प्रसाद यादव
 3. श्री. रामनाथ यादव
 4. श्री. मोहन यादव



 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



100

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-


हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
शैलेंद्र यादव	दुर्गा प्रसाद यादव	8960034509	कृषि	अवनी काठवा चिरा



शासनादेश संख्या - राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी / भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात प्रथम पक्ष (जिसे एतदपरचात भूस्वामी कहा गया है) और:



सहायक सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथकत:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

The bottom of the page features four circular stamps, each containing a different pattern or text, and a handwritten signature to the right. The signature appears to be 'उप सचिव' (Deputy Secretary) and is written in a cursive style. Below the signature, there is a line of text that reads 'अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या' (Ayodhya Development Authority, Ayodhya).




- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0099	118	0.2500		55000000.00	-	-
भूदण्ड अन्व सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7. 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण			
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता	
08	09	10	11			
		55000000.00	शान्ती देवी	राम अय्य	चिरौं मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव	राम अय्य	चिरौं मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			शम्भूनाथ उर्फ शम्भू यादव	राम अय्य	चिरौं मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			भोलेंद्र उर्फ भोलेंद्र यादव	राम अय्य	चिरौं मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	




 उप सचिव
 अदोषा विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008055

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6673

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 5500000 स्टाम्प शुल्क- 385000 बाजारी मूल्य- 5500000 पंजीकरण शुल्क- 55000 प्रतिलिपिकरण शुल्क- 80 योग: 55080

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय: नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/10/2023 एवं
01:34:29 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक :सोहावल
अयोध्या
13/10/2023




निबंधक लिपिक
13/10/2023

प्रिंट करें






नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।


- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर


क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	
1	शान्ती देवी	राम अक्का	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 
2	दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव	राम अक्का	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 
3	शम्भूनाथ उर्फ शम्भू यादव	राम अक्का	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 
4	मोलेन्द्र उर्फ मोलेन्द्र यादव	राम अक्का	चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	






अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्री अजीत सिंह, पुत्र श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह

निवासी: पिकीरा पो० सुकरीली चौधरी, तह० हरैया जिला
अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

Ajeet Singh



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Signature)

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
13/10/2023

(Signature)
निबंधक लिपिक अयोध्या
13/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे निधमानुसार
लिए गए हैं।
टिप्पणी : विक्रिता शम्भूनाथ भूक बधिर है एक्सपर्ट द्वारा इसारों
में बात कर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
2- मोले नं. 200	श्री श्री प्रमोद शर्मा	8960034508	कृषि	मन्नीका इलाका चिरी	श्री श्री प्रमोद शर्मा

3- अजीत सिंह 3/ अजीत सिंह 931972086 नौकरी स्थित



स्पेशल एज्यूकेटर
अ. नं. 200 - सोहावल
अयोध्या

पिनौर, पोस्ट
सुकसेली चौकरी
हरिभाषस्ती, अयोध्या

Ajeet Singh

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



मोले नं. 200



मि. अ. शास्त्रमाथ



मि. अ. शशी देवी



मोले नं. 200

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6673

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रतेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्रीमती शान्ती देवी, पत्नी श्री राम अवध

निवासी: चिरां मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 2



श्री दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव, पुत्र श्री राम अवध

निवासी: चिरां मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 3

दुर्गा प्रसाद यादव




श्री शम्भूनाथ उर्फ शम्भू यादव, पुत्र श्री राम अवध

निवासी: चिरां मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 4




श्री भोलेंद्र उर्फ भोलेंद्र यादव, पुत्र श्री राम अवध

निवासी: चिरां मोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1

भोलेंद्र यादव




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या के द्वारा स्वर्णिम राज,
पुत्र श्री शशिद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिसे पहचान
पहचानकर्ता : 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या


व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2




[Handwritten signature]

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	
118	शान्ती देवी	राम अवध	0.0625	
	दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव	राम अवध	0.0625	
	शम्भूनाथ उर्फ शम्भू यादव	राम अवध	0.0625	
	मोलेन्द्र उर्फ मोलेन्द्र यादव	राम अवध	0.0625	

निष्पादन का दिनांक- 11/10/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।


दुर्गा प्रसाद उर्फ दुर्गा प्रसाद यादव


शान्ती देवी


शम्भूनाथ उर्फ शम्भू यादव


मोलेन्द्र उर्फ मोलेन्द्र यादव


उप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008055

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3156 के पृष्ठ 265 से 286 तक क्रमांक
6673 पर दिनांक 13/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रदीप कुमार प्र०
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
13/10/2023





8195



नि.अ. सोहावल

नि.अ. सोहावल

नि.अ. सोहावल

नि.अ. सोहावल

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

नि.अ. सोहावल



विक्रय पत्र

कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या


जनपद अयोध्या में समय विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
270	1662690270000012	0.3410

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 0.1705 हेक्
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
270	0.1705	चकमार्ग गाठसं०-269	गाठसं०-282	नाली गाठसं०-243	गाठसं०-271



नि.अ. सोहावल

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.




7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गारा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
270	0.1705	सईदुल निशा उर्फ सईदुल निशा	मो० इराहाक	0.0341	750200.00	750200.00
		मो० सलीम	मो० इराहाक	0.0341	750200.00	750200.00
		मो० अहमद	मो० इराहाक	0.0341	750200.00	750200.00
		मो० हबीब	मो० इराहाक	0.0341	750200.00	750200.00
		मो० सादिर	मो० इराहाक	0.0341	750200.00	750200.00
			योग	0.1705	3751000.00	3751000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 262570.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
सईदुल निशा उर्फ सईदुल निशा	मो० इराहाक	786271184558	BGAPN5310D	9867686427	ग्रहणी	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
मो० सलीम	मो० इराहाक	2363	CLOPS8699Q	9819394795	मजदूर	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
मो० अहमद	मो० इराहाक	280767832525	BAMPA6882 M	9967899741	मजदूर	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
मो० हबीब	मो० इराहाक	786309220480	BUMPH0977C	9867686427	मजदूर	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।
मो० सादिर	मो० इराहाक	953376055928	EPN PS403B	9987316013	मजदूर	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।



 मो० सलीम

उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसक्षेत्र अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607779911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।



 निष्ठा सिंह
 निष्ठा सिंह
 मी० अ० अ०
 निष्ठा सिंह
 उप सचिव
 प्रादेशिक अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ज- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	विक्र/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सहीदुल निशा उर्फ सईदुल निशा	मो० इशहाक	बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या	BARB0BUPGBX	55300100007325	750200.00
2	मो० सलीम	मो० इशहाक	पंजाब नेशनल बैंक अयोध्या	PUNB0991800	9918000100079491	750200.00
3	मो० अहमद	मो० इशहाक	बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या	BARB0BUPGBX	55300100022674	750200.00
4	मो० हबीब	मो० इशहाक	बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या	BARB0BUPGBX	55300100020531	750200.00
5	मो० साविर	मो० इशहाक	पंजाब नेशनल बैंक अयोध्या	PUNB0991800	9918001700005905	750200.00
				योग		3751000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (सैंतिस लाख इक्यावन हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिदश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।



उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या





Handwritten mark or signature, possibly a stylized character or the number '11'.

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत हैं/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

(1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।

(2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।

(3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या
मो. 92100 21000
मो. 92100 21000
मो. 92100 21000
मो. 92100 21000

Handwritten marks or scribbles in the top right corner.




- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0009	270	0.1705		3751000.00	-	-
भूवृद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)		व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)			नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	11			
		3751000.00	सहीदुल निशा उर्फ सईदुल निशा	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			मो० सलीम	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			मो० अहमद	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			मो० इबीन	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	
			मो० साबिर	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	



 नि.अ.सहीदुलनिशा नि.अ.सलीम
 मो० अहमद मो० इशहाक मो० साबिर
 उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6707

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 3751000 स्टाम्प शुल्क- 262570 बाजारी मूल्य- 3751000 पंजीकरण शुल्क - 37510 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 37590

श्री अपोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अपोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या



श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/10/2023 एवं
04:49:22 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर




राहुल सिंह
उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
16/10/2023
निबंधक लिपिक
16/10/2023

प्रिंट करें



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

• भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	सहीदुल निशा उर्फ सईदुल निशा	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 1-21/4/15-1-2011
2	मो० सलीम	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 1-21/4/15-1-2011
3	मो० अहमद	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 मो० अहमद
4	मो० हबीब	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 1-21/4/15-1-2011
5	मो० साबिर	मो० इशहाक	भवानीपुर चिरा मोहम्मदपुर सोहावल अयोध्या।	 मो० साबिर

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	








मो० अहमद
 मो० साबिर
 मो० अहमद
 मो० साबिर
 उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री मो कलीम, पुत्र श्री मो हकीम

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

श्री मो कलीम



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या

16/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

16/10/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मो० कलीम	मो० खलीम	9819156254	मजदूरी	फिरोजपुर अलीपुर, कानपुर	मो० कलीम

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


मो० कलीम
मो० खलीम
मो० इमर
मो० इमर
उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6707

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्रीमती सहीदुल निशा उर्फ सईदुल निशा, पत्नी श्री मो इशहाक

निवासी: भवानीपुर चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 2



श्री मो सलीम, पुत्र श्री मो इशहाक

निवासी: भवानीपुर चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 3



श्री मो अहमद, पुत्र श्री मो इशहाक

निवासी: भवानीपुर चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 4




श्री मो हबीब, पुत्र श्री मो इशहाक

निवासी: भवानीपुर चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 5




श्री मो साबिर, पुत्र श्री मो इशहाक

निवासी: भवानीपुर चिरामोहम्मदपुर तह० सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: व्यापार

विक्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार


निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता: 1



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
270	सहीदुल निशा चर्फ सईदुल निशा	मो० इराहाक	0.0341	
	मो० सलीम	मो० इराहाक	0.0341	
	मो० अहमद	मो० इराहाक	0.0341	
	मो० हबीब	मो० इराहाक	0.0341	
	मो० साबिर	मो० इराहाक	0.0341	


निष्पादन का दिनांक:- 16/10/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।

 मो० सलीम
 मो० अहमद
 मो० हबीब
 मो० साबिर
 चप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008195

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3158 के पृष्ठ 13 से 34 तक क्रमांक
6707 पर दिनांक 16/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



उपनिर्बंधक : सोहावल

अयोध्या

16/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



127

Government of Uttar Pradesh

IN-UP47204945910980V

e-Stamp



Certificate No. **6756**
 Certificate Issued Date **2023** : IN-UP47204945910980V ✓
 Account Reference : 18-Oct-2023 04:33 PM
 Unique Doc. Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Purchased by : SUBIN-UPUP1414800490119093003961V
 Description of Document : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Property Description : Article 23 Conveyance
 Consideration Price (Rs.) : GATA NO-210 MAUJA-FIROZPUR UPARHAB PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 First Party : MOHD NAJEER SO HINGAI
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 1,61,700
 (One Lakh Sixty One Thousand Seven Hundred only)



Please write or type below this line

17-21
 मो. नरेश

छपू साचिव
 अर्थीकर विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443622

Statutory Alert

- The authenticity of the e-Stamp certificate issued on the website www.uptax.gov.in can be verified on the mobile app.
- The details of the e-Stamp certificate can be verified on the website / Mobile App under the link.
- In case of any discrepancy, please inform the Competent Authority.





पिका. अ. सो. नं. 2



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम - फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
210	1662690210000012	0.1050

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.1050 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
210	0.1050	गाठसं-211	गाठसं- 172 रास्ता	चकनाग गाठसं-171	गाठसं-209



पिका. अ. सो. नं. 2

उप निबन्धक
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4	5	7	8
210	0.1050	मो० नजीर	हिगई	0.1050	2310000.00	2310000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 161700.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
मो० नजीर	हिगई	666186236080	BHUPN1309P	9936263817	कृषि	फिरोजपुर उपरहार सोहामल अयोध्या।

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7807778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।


मो० नजीर


उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या





कुल धनराशि शब्दों में- (तेईस लाख दस हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिबश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-



पि.के. मो. नौकरी

उप. अधिकारी
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
मो० कलील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	7897153326	मजदूरी	फिरोजापुर उपरहार साहायल अयोध्या।



शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, मले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या


मो० कलील फतेह मोहम्मद


उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।

(4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।

(5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।

(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (यारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (₹00में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (₹00 में)
01	02	03	04	05	06	07
0075	210	0.1050		2310000.00	-	-
भूदत्त अन्व सम्पत्ति का विवरण			देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण		
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (₹00 में)			नाम	पिता/पति का नाम	पता
08	09	10	2310000.00	11		
				श्री० नजीर	हिन्दई	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।



नि.अ. मे. नजीर

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	मो० नजीर	हिंनई	फिरोजपुर उपरहार सोहाय्य अयोध्या।	

मो.अमो.नजीर

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7807778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	



मो.अमो.नजीर

~~सप सचिव~~
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विज्ञाप पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6756

वर्ष: 2023

प्रतिकल- 2310000 स्टाम्प शुल्क- 161700 बाजारी मूल्य - 2310000 पंजीकरण शुल्क - 23100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 23180

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/10/2023
एवं 05:00:40 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेंद्र सिंह

उप निबंधक : सोहावल


अयोध्या
18/10/2023



निबंधक लिपिक
18/10/2023



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मो० कफ़ील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	7897153326	सजादुरी	फ़िरोज़पुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	मोहम्मद


क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


मो. नजीर


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

पृष्ठी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6756

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री मो नजीर, पुत्र श्री हिंनई

निवासी: फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। विक्रेता की पहचान

पहचानकर्ता : 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2



श्री मो कफील फतेह मोहम्मद, पुत्र श्री फतेह मोहम्मद

निवासी: फिरोजपुर उमरहान-सोहावल अयोध्या


व्यवसाय: कृषि

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगठे नियमानुसार लिए गए हैं।

दिप्पणी



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या


18/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या

18/10/2023

प्रिंट कर

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
210	मो० नजीर	हिंदाई	0.1050	

निष्पादन का दिनांक- 13/10/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।




मि. अ. मो. नजीर

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008249

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3159 के पृष्ठ 395 से 416 तक क्रमांक
6756 पर दिनांक 18/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

18/10/2023

प्रिंट करे





INDIA NON JUDICIAL



IN-UP47230089653474V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



128

Certificate No. : IN-UP47230089653474V ✓

Certificate Issued Date : 18-Oct-2023 04:43 PM

Account Reference : NEWIMPACC (SV) up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB

Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800490155841129621V

Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Description of Document : Article 23 Conveyance

Property Description : GATA NO-211 MAUJA FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH- SOHAWAL DISTT-AYODHYA

Consideration Price (Rs.) :

First Party : MOHD KADIR SO FATEH MOHAMMAD AND OTHERS


Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA

Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,11,650
(One Lakh Eleven Thousand Six Hundred And Fifty only)

6757
2023

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line

72 10-21-2023

मोहम्मदीय

मौजा फिरोजपुर

अध्यक्ष

अध्यक्ष विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443623

Statutory Alert:

- The authenticity of any document can be known by visiting the website www.e-StampMaha.com or using e-Stamp Maha App of Store, holding any document of the State or the Countries and as available on the website / MSMA App for date 21/10/23
- The duty of checking the authenticity is on the name of the customer.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



...



Image 2023-10-03 at 11.2

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



04/9/23

Handwritten signature

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु दृशित कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
211	1662690211000012	0.0870

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 0.0725 हेक्ठ

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
211	0.0725	गा0सं0-212	गा0सं0-210	क्षमार्ग गा0सं0-171	गा0सं0-209



मि. 0034



मि. 0034



मि. 0034



मि. 0034



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
211	0.0725	मोहम्मद कादिर उर्फ मोहम्मद कादिर फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	0.0145	319000.00	319000.00
		मोहम्मद सगीर उर्फ मोहम्मद सगीर खान	फतेह मोहम्मद	0.0145	319000.00	319000.00
		मोहम्मद कफील उर्फ मोहम्मद कफील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	0.0145	319000.00	319000.00
		मोहम्मद शाबील	फतेह मोहम्मद	0.0145	319000.00	319000.00
		मौ० तुफैल	फतेह मोहम्मद	0.0145	319000.00	319000.00
			योग	0.0725	1595000.00	1595000.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 111650.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
मोहम्मद कादिर उर्फ मोहम्मद कादिर फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	574783178711	DVHPM5517B	9970111046	मजदूर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
मोहम्मद सगीर उर्फ मोहम्मद सगीर खान	फतेह मोहम्मद	246067641263	COEPK8124B	8857862321	मजदूर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
मोहम्मद कफील उर्फ मोहम्मद कफील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	505619776342	BTUPM8474P	7897153326	मजदूर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
मोहम्मद शाबील	फतेह मोहम्मद	724279913637	BEKPM7187P	9823543835	मजदूर	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।


मोहम्मद कादिर


मोहम्मद सगीर


मोहम्मद कफील


मोहम्मद शाबील


उप सचिव
औद्योगिक विकास प्राधिकरण, लखनऊ



नो० टुकड़ा	फोटो मोहम्मद	920680027519	AQSPT5217C	9936023988	मजदूर	फिरोजपुर उपरहार सोहाबल अयोध्या।
------------	-----------------	--------------	------------	------------	-------	--


-4-

10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसखिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7807778911	उपसखिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।



 मजदूर
 मजदूर
 मजदूर
 मजदूर
 मजदूर
 अयोध्या विकास प्राधिकरण



ज-शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।

-5-

झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।


ञ- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	मोहम्मद कादिर उर्फ मोहम्मद कादिर फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या	BARBOBUPGBX	55300100011936	319000.00
2	मोहम्मद सगीर उर्फ मोहम्मद सगीर खान	फतेह मोहम्मद	बैंक ऑफ इण्डिया मुम्बई	BKID0000074	007410100004846	319000.00
3	मोहम्मद कहील उर्फ मोहम्मद कहील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	बड़ीदा यू०पी० ग्रामीण बैंक अयोध्या	BARBOBUPGBX	55300100017125	319000.00
4	मोहम्मद शाबील	फतेह मोहम्मद	बैंक ऑफ बड़ीदा पालघर	BARBOVASAIG	49010100000348	319000.00
5	मो० तुर्कल	फतेह मोहम्मद	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	SBIN0011229	33167859741	319000.00
				योग		1595000.00

कुल धनराशि शब्दों में- (पंद्रह लाख पित्चानवे हजार रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है



 RTGS/NEFT
 19.03.2015
 मोहम्मद कादिर
 मोहम्मद सगीर
 मोहम्मद कहील
 मोहम्मद शाबील
 मो० तुर्कल
 उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण



तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।

-6-

14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण -:
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण -:

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
मो० नजीर	हिंदाई	9936263817	कृषि	फिरोजपुर उपखण्ड सोडाल अयोध्या।



मो० नजीर

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

मो० नजीर

मो० नजीर

मो० नजीर

मो० नजीर

मो० नजीर

मो० नजीर

अयोध्या विकास प्राधिकरण



यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी हैं/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्द्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात् प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात् भूस्वामी कहा गया है) और:

-7-

द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातों क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्व रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।



 मि. आ. खत्री
 मि. खत्री
 मि. खत्री
 मि. खत्री
 मि. खत्री
 उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण



(6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

-8-

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।


(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0054	211	0.0725		1595000.00	-	-
भूवद्द अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण			
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता	
08	09	10	11			
		1595000.00	मोहम्मद कादिर उर्फ मोहम्मद कादिर फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
			मोहम्मद सागीर उर्फ मोहम्मद सागीर खान	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
			मोहम्मद कफील उर्फ मोहम्मद कफील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
			मोहम्मद शाकील	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	


 1. मोहम्मद सागीर
 2. मोहम्मद सागीर
 3. मोहम्मद सागीर
 4. मोहम्मद सागीर
 5. मोहम्मद सागीर


 उप सचिव
 अयोध्या विभागास प्राधिकरण, 3

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6757

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 1595000 स्टाम्प शुल्क- 111650 बाजारी मूल्य - 1595000 पंजीकरण शुल्क - 15950 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 16030

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : जौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा


स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/10/2023
एवं 05:20:54 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेंद्र सिंह
उप निबंधक, सोहावल

अयोध्या
18/10/2023


निबंधक लिपिक
18/10/2023






			मो० तुफैल	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।
--	--	--	-----------	--------------	------------------------------------

-9-

नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	मोहम्मद कादिर उर्फ मोहम्मद कादिर फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
2	मोहम्मद सागीर उर्फ मोहम्मद सागीर खान	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
3	मोहम्मद कफील उर्फ मोहम्मद कफील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
4	मोहम्मद शबील	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	
5	मो० तुफैल	फतेह मोहम्मद	फिरोजपुर उपरहार सोहावल अयोध्या।	

गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	

✓
उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण.

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबती प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2




श्री मो नजीर, पुत्र श्री हिंगई

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की हस्ताक्षर


राजेश सिंह

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

18/10/2023

ने भी। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी:

निबंधक लिपिक अयोध्या

18/10/2023

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
मो० नजीर	हिंमई	9936263817	कृषि	फिरोजपुर उपखण्ड सोहावल अयोध्या।	

मो० नजीर

क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।

 मो० नजीर
 मो० नजीर
 मो० नजीर
 मो० नजीर
 मो० नजीर

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अ

वकी सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6757

वर्ष: 2023


निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि व प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री मोहम्मद कादिर उर्फ मोहम्मद कादिर फतेह मोहम्मद,
पुत्र श्री फतेह मोहम्मद

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: कृषि

Handwritten signature: *Handwritten signature*



विक्रेता: 2

श्री मोहम्मद सगीर उर्फ मोहम्मद सगीर खान, पुत्र श्री फतेह
मोहम्मद

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: कृषि




विक्रेता: 3

श्री मोहम्मद कफील उर्फ मोहम्मद कफील फतेह मोहम्मद,
पुत्र श्री फतेह मोहम्मद

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: व्यापार

Handwritten signature: *Handwritten signature*



विक्रेता: 4

श्री मोहम्मद शहीब, पुत्र श्री फतेह मोहम्मद

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: कृषि

Handwritten signature: *Handwritten signature*




विक्रेता: 5

श्री.मो.तुफैल, पुत्र श्री फतेह मोहम्मद

निवासी: फिरोजपुर उपरहार तह0 सोहावल अयोध्या
व्यवसाय: कृषि

Handwritten signature: *Handwritten signature*



विक्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र
श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी

Handwritten signature: *Handwritten signature*



हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।




गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
211	मोहम्मद कादिर उर्फ मोहम्मद कादिर फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	0.0145	
	मोहम्मद सगीर उर्फ मोहम्मद सगीर खान	फतेह मोहम्मद	0.0145	
	मोहम्मद कफील उर्फ मोहम्मद कफील फतेह मोहम्मद	फतेह मोहम्मद	0.0145	
	मोहम्मद शाबील	फतेह मोहम्मद	0.0145	
	मो० तुर्कल	फतेह मोहम्मद	0.0145	

निष्पादन का दिनांक:- 18/10/2023
स्थान - सोहावल, अयोध्या













उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, 5

आवेदन सं०: 202300904008252

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3160 के पृष्ठ 1 से 22 तक क्रमांक
6757 पर दिनांक 18/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह.

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

18/10/2023

प्रिंट करें





INDIA NON JUDICIAL



JN-UP48697278578073V

129

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP48697278578073V
 Certificate Issued Date : 19-Oct-2023 04:47 PM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414800493071049027923V
 Purchased by : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Description of Document : Article 23 Conveyance
 Property Description : GATA NO-73 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARIHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : RAM MAHESH SO BABU LAL
 Second Party : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Paid By : AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 81,200
 (Eighty One Thousand Two Hundred only)



Please write or type below this line

21/10/23


उप-निवि
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443643

Statutory Alerts

1. The authenticity of any Stamp certificate needs to be verified of issue authorities only or using e-Stamp Mobile App of Govt. Holding. Any discrepancy in the details of the Certificate need to be reported in the website of Mobile App version it issued.
2. The cost of the Stamp Registration is on the terms of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





उप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु व्ययनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार ÷, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल , अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
73	1662690073000012	0.0950
78	1662690078000012	0.2470

- 5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.0118 व 0.071 हेव0
- 6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
73	0.0118	गा0सं0-74	गा0सं0-46	गा0सं0-72	गा0सं0-74
78	0.071	गा0सं0-91 नाली	गा0सं0-76	गा0सं0-92	गा0सं0-77

21/11/20

उप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्या

100



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
73	0.0118	राम महेश	बाबूलाल	0.0118	165200.00	165200.00
78	0.071	राम महेश	बाबूलाल	0.071	994000.00	994000.00
			योग	0.0828	1159200.00	1159200.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 81200.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
राम महेश	बाबूलाल	387778459533	IGQPM4812L	8193092388	मजदूरी	निदूरा जयनपुर इब्राहिमपुर देवाली उपरहार कोजाबाद



राम महेश

उप सचिव
अयोध्य विकास प्राधिकरण, अयोध्य

13



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7607778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।



21/3/2015

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

11



- इ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ0प्र0 के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ज- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं0-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सर्किल दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राम महेश	बाबूलाल	बड़ौदा यू०पी० ग्रामीण बैंक	BARB0BUPGBX	55300100016958	1159200.00
				योग		1159200.00

कुल धनराशि शब्दों में- (ग्यारह लाख उन्सठ हजार दो सौ रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटियश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।


राम महेश


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-
हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
किशन कुमार	दाबूलाल	9625091883	मजदूरी	निदर जगनपुर इब्राहिमपुर देवाली उपरहार फैजाबाद



नि.अ. किशन कुमार

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात प्रथम पक्ष (जिसे एतदपश्चात भूस्वामी कहा गया है) और:



21/11/2023

उप सचिव
अवोयेत्र विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित /निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते है:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दावे या प्रतिकर या उसके भाग के क्रय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त: और पृथक्त:) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन



21/11/2019

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसे स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।

-8-

(7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।

(8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।

(i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।

(ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।

(iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।

अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0091	73	0.0118		1159200.00	-	-
0061	78	0.071				
भूबद्ध अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण			
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता	
08	09	10	11			
		1159200.00	राम महेश	बाबूलाल	निदुरा जमनपुर इन्वार्डिन्सपुर देमाली उपरहार फैजाबाद	



21/11/2024

↓

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



नोट :- मैंने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	राम महेश	बबूलाल	निद्रा जगनपुर इब्राहिमपुर देवाली उपरहार फँजाबाद	21/11/21

गवाह /अभिस्ताक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	



21/11/21

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6800

वर्ष: 2023

प्रतिकूल- 1159200 स्टाम्प शुल्क- 81200 बाजारी मूल्य - 1160000 पंजीकरण शुल्क - 11600 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग: 11680

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/10/2023 एवं
05:05:23 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर


राजुल सिंह
उप निबंधक (सोहावल)
अयोध्या
19/10/2023

निबंधक लिपिक
19/10/2023

प्रिंट करें



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
किशन कुमार	बाबुलाल	9625091883	मजदूरी	निहूरा जगनपुर इम्राहिमपुर देवाली उपरहार कंजाराय	

किशन कुमार

क्रय निकाय की अध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।



श्रीमती

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6800

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री राम महेश, पुत्र श्री बाबू लाल

निवासी: निद्रा जगनपुर इब्राहिमपुर देवाली उपरहार तहसीला सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

क्रेता: 1

राम महेश



श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री शरद कुमार

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1



श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद

निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

Om Prakash



श्री किशन कुमार, पुत्र श्री बाबू लाल

निवासी: निद्रा जगनपुर इब्राहिमपुर देवाली उपरहार तहसीला सोहावल अयोध्या

व्यवसाय: कृषि

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

राहुल सिंह

उप निबंधक : सोहावल
अयोध्या
19/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
19/10/2023

प्रिंट करे

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु इन लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
73	राम महेश	बाबूलाल	0.0118	राम महेश 21
78	राम महेश	बाबूलाल	0.071	राम महेश 21

निष्पादन का दिनांक:- 19/10/2023
स्थान - सोहावल, अयोध्या।


राम महेश 21

उपस्थित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008294

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3161 के पृष्ठ 223 से 244 तक क्रमांक
6800 पर दिनांक 19/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

19/10/2023





INDIA NON JUDICIAL



130

Government of Uttar Pradesh

IN-UP49971205984033V

e-Stamp

6831



Certificate No.	: IN-UP49971205984033V
Certificate Issued Date	: 20-Oct-2023 03:45 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14148004/ SOHAWAL/ UP-FZB
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1414800495268412357726V
Purchased by	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: GATA NO-125 AND OTHERS MAUJA-FIROZPUR UPARHAR PAR-MAGALSI TEH-SOHAWAL DISTT-AYODHYA
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: TAHA SO USMAN HUSAIN
Second Party	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Paid By	: AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY AYODHYA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 7,980 (Seven Thousand Nine Hundred And Eighty only)

Vertical text on the left edge of the document.

Vertical text on the right edge of the document.



Please write or type below this line

Handwritten signature and a dark circular stamp.

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

0013443661

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp should be verified by using the Stamp Verification App of State Police. Any discrepancy in the details on this Certificate and so available on the website / Mobile App should be reported.
2. The cost of providing the Stamp is on the user of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.





Image 2023-10-03 at 11.2

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

विक्रय पत्र कार्यालय उप निबन्धक सोहावल, अयोध्या

जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु दशिष्ठ कुंज आवासीय योजना ग्राम- फिरोजपुर उपरहार हेतु चयनित भूमि का निम्न पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति द्वारा विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है-

- 1 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण - कृषि
- 2 - ग्राम का नाम -फिरोजपुर उपरहार, परगना - मगलसी
- 3 - तहसील व जनपद - सोहावल, अयोध्या
- 4 - सम्पत्ति का विवरण-

गाटा संख्या	गाटा की यूनिट आई.डी.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
125	1662690125000012	0.1240
126	1662690126000012	0.0630
136	1662690136000012	0.1140

5 - विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 0.00275, 0.0014 व 0.00253 हेक्

6 - विक्रीत सम्पत्ति की चौहददी

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	पूरब	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण
125	0.00275	गा0स0- 126 व 127	गा0स0- 123 व 124	नहर गा0स0-122	गा0स0-131
126	0.0014	गा0स0-128	गा0स0-125	गा0स0-122	गा0स0-127
136	0.00253	गा0स0-137	चकमार्ग गा0स0-135	नहर गा0स0-122	गा0स0-137


Mohan Singh

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

8330



7 - विक्रीत सम्पत्ति का विवरण -

गाटा संख्या	विक्रीत क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश (हेक्टेयर में)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर का 4 गुना	प्रतिफल की धनराशि
1	2	3	4		7	8
125	0.00275	ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	0.00275	38500.00	38500.00
126	0.0014	ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	0.0014	19600.00	19600.00
136	0.00253	ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	0.00253	55660.00	55660.00
			योग		113760.00	113760.00

8 - अदा किया गया स्टाम्प शुल्क का विवरण - रु. 7980.00

9- विक्रेता गण (प्रथम पक्ष) का विवरण -

विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
1	2	3	4	5	6	7
ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	497532836368	ANOPT8467F	8090697568	विद्यार्थी	स्टेशन रोड लाइन पुरवा मस्जिद के पास रफी नगर नवाबगंज बाराबंकी


Mokunfolg


उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



10- क्रेता (द्वितीय पक्ष) का विवरण-

क्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	आधार संख्या	पैन कार्ड संख्या	मोबाइल नम्बर	पदनाम	पता
1	2	3	4	5	6	7
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा नामित स्वर्णिम राज उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	श्री शरद कुमार		AAALA0206 C	7807778911	उपसचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

11 - प्रथम पक्ष निम्नलिखित अभिकथन करता है कि -

- क- उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार बकाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादास्पद है।
- ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि का किसी प्रकार से विक्रय, दान, बंधक, अनुबंध या अन्य प्रकार से हस्तांतरण बन्धक, दान नहीं किया है।
- ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है।
- घ- विक्रीत भूमि का कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है।
- ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व के समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। विक्रीत भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा।
- च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है तथा द्वितीय पक्ष इसका उपयोग तथा उपभोग अपने इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे।
- छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष भूमि को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।
- ज- शासनादेश सं०-2/2015/215 /1-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13, लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015 के अनुसार भू-स्वामी/भू-स्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिये समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाला समझौता-पत्र व शपथ-पत्र व अभिलेख विक्रय विलेख का अंश है।



Handwritten signature

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- झ- गाटा संख्या-के मूल, खातेदारों/भूस्वामियों द्वारा भूमि का विक्रय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या, उ०प्र० के पक्ष में निष्पादित किया जा चुका है तथा मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। उक्त विक्रय विलेख उक्त भूमि का है।
- ज- सम्बन्धित भू-स्वामियों से संलग्न प्रारूप सं०-1 पर भूमि क्रय किये जाने हेतु दर एवं कुल भूमि मूल्य पर सहमति प्राप्त की जायेगी और सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के दिनांक को लागू सक्रिय दर/प्रचलित बाजार मूल्य को सभी प्रयोजनों हेतु स्वीकार किया जायेगा।

12- भुगतान का विवरण -

क्र 0	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	बैंक का नाम / शाखा का नाम	IFSC Code	खाता संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	शाहा खर्क मोहम्मद शाहा	उस्मान हुसैन	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया रामनगर बाराबंकी	SBIN0010881	32449689151	113760.00
				योग		113760.00

कुल धनराशि शब्दों में- (एक लाख तेरह हजार सात सौ साठ रुपये मात्र)

उक्त धनराशि का भुगतान विलेख के निष्पादन से पंद्रह कार्य दिवस के अन्दर RTGS/NEFT के माध्यम से करा दिया जायेगा। प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसका कोई भी उत्तराधिकारी उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए दावा नहीं करेगा और न ही किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। यदि विक्रेता को त्रुटिवश अधिक धनराशि का भुगतान हो जाता है तथा विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नहीं वापस करता है तब बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भू-राजस्व की भांति वसूलने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

13. द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और वह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है। इस प्रकार प्रथम पक्ष ने सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त करने सम्बन्धी स्वीकारोक्ति के पश्चात विलेख का निष्पादन किया। इस विक्रय पत्र में उल्लिखित उपरोक्त तथ्यों एवं शर्तों के साक्ष्य स्वरूप दोनों पक्षकारों ने इस पर बिना किसी दबाव अथवा प्रलोभन के तथा पूर्ण होशोहवास में निम्नलिखित दो गवोहों के समक्ष हस्ताक्षर किया।



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



14- साक्षी गण

प्रथम साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर



नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
ओम प्रकाश	स्व0 राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।

द्वितीय साक्षी विवरण :-

हस्ताक्षर

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता
उमर अहमद	रेजिा रसु	9457233089	फार्मर	लाहौरावाग लाहौरावाग



Umar Ahmad

शासनादेश संख्या -राजस्व अनुभाग -13 संख्या -2/2015/215 एक -13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 भूस्वामी /भूस्वामियों और क्रय निकाय के बीच लोक प्रयोजनों के लिए समझौते द्वारा भूमि क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किया जाने वाला समझौता - पत्र (प्रारूप संख्या-1)

यह समझौता पत्र निम्न भूस्वामी/भूस्वामियों, जो सम्पत्ति का /के पूर्ण स्वामी है/हैं जिस आये उल्लिखित किया गया है और निम्नलिखित अंशों में एतद्वारा वर्णित किया गया है, अर्थात प्रथम पक्ष (जिसे एतदपरचात भूस्वामी कहा गया है) और:


Mehar Singh

उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



द्वितीय पक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या (जिसे तत्पश्चात् क्रय निकाय कहा गया है) के मध्य एतद्वारा हस्ताक्षरित / निष्पादित किया गया है।

चूंकि उल्लिखित पक्षकार भूमि के सापेक्ष देय दर तथा कुल भूमि मूल्य पर सहमत है/हैं जिसका विवरण अनुसूची में दिया गया है। और चूंकि भूस्वामी अग्रेतर सहमत है/हैं कि अनुसूची में वर्णित भूवद्ध कोई बात या भूवद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से सम्बद्ध सभी बातें क्रय निकाय के पूर्व अनुमोदन से वापस ली जा सकेंगी। अतएव अब भूस्वामी और क्रय निकाय से एतद्वारा निम्न प्रकार सहमत होता/होते हैं:-

- (1) यह कि क्रय निकाय इस समझौता पत्र के निष्पादन की तिथि से अधिकतम 12 माह के भीतर अनिवार्य अर्जन के बिना, कार्यवाही करने में सक्षम होगा।
- (2) यह कि यदि क्रय निकाय भूमि का तुरन्त कब्जा लेना आवश्यक समझता है तो वह/वे ऐसा करने का हकदार होगा/होंगे, भले ही इस पर फसल खड़ी हो, परन्तु यह कि अनुसूची में वर्णित "दर और कुल भूमि मूल्य" का भुगतान कर दिया हो।
- (3) यह कि यदि कुल भूमि मूल्य के भुगतान के पश्चात् यह प्रकट होता है कि भूस्वामी इस समझौता पत्र के क्रम में निष्पादित विक्रय विलेख के अनुसार प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि का/के अन्यन्य रूप से हकदार नहीं है/हैं और क्रय निकाय की ओर से किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिकर का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है तो भूस्वामी द्वारा ऐसी धनराशि, जो क्रय निकाय द्वारा अवधारित की जाय, मांग किये जाने पर वापस कर देगा और किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा किसी दाये या प्रतिकर या उसके भाग के क्रिय निकाय/राज्य सरकार को (सयुक्त और पृथकतः) क्षतिपूर्ण भी करेगा और उठाई गई किसी हानि या नुकसान की सभी कार्यवाहियों और दायित्वों के विरुद्ध उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर उसे/उनको भुगतान के कारण क्रय निकाय द्वारा उपगत किसी लागत प्रभार या व्यय की गयी धनराशि पर प्रथम वर्ष के लिये 09 प्रतिशत की दर पर और पश्चात्तवर्ती वर्षों के लिए 15 प्रतिशत की दर पर ब्याज भुगतान करेगा/करेंगे।
- (4) यदि भूस्वामी पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित धनराशि क्रय निकाय को वापस करने में असफल रहता है/रहते हैं तो क्रय निकाय को कलेक्टर के माध्यम से उसे भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने या ऐसी धनराशि को वसूली के लिये प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कार्यवाही करने का आदेश देने का पूरा अधिकार होगा।
- (5) यदि अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सरकारी देय/अंश/प्रीमियम भूस्वामी द्वारा देय है या किसी वित्तीय संस्था का ऋण उक्त भूमि के विरुद्ध बकाया है तो उस धनराशि को कुल भूमि मूल्य की धनराशि से कटौती करके शेष धनराशि का भुगतान भू-स्वामी को किया जायेगा।
- (6) क्रय निकाय और भू-स्वामी के मध्य हस्ताक्षरित इस समझौता पत्र के अनुमोदन के उपरान्त आवश्यक विक्रय विलेख का निष्पादन किया जायेगा, जिसके पंजीकरण/निबन्धन सम्बन्धी समस्त शुल्क, जिसमें स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है को क्रय निकाय द्वारा वहन किया जायेगा।


Mohan Lal

उप साधित
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



- (7) विक्रय विलेख के निष्पादन के दिनांक पर ही सम्बन्धित भू-स्वामी से अनुसूची-1 में वर्णित भूमि का कब्जा क्रय निकाय द्वारा प्राप्त किया जायेगा।
- (8) क्रय निकाय के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर इस समझौता पत्र को भूस्वामी को 15 दिन का नोटिस देकर निरस्त किया जायेगा।
- (i) यदि भूस्वामी ने समझौता पत्र को कपटपूर्ण व्यवहार करके सम्पादित कराया है।
- (ii) यदि भूस्वामी के द्वारा समझौता पत्र के किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है।
- (iii) यदि इस समझौता पत्र निष्पादन के उपरान्त यह प्रकट होता है कि अनुसूची -1 में वर्णित भूमि का स्वामित्व भू-स्वामी में नहीं है।


अनुसूची

ग्राम- फिरोजपुर उपरहार, परगना- मगलसी तहसील-सोहावल जिला-अयोध्या

खाता सं०	खसरा सं०	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का विवरण, यदि यह सर्वेक्षण संख्या का भाग हो (चारों सीमाओं और लगी हुई भूस्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए)	भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु०में)	भूमि पर खड़ी फसल	
					विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय राशि (रु० में)
01	02	03	04	05	06	07
0141	125	0.00275		113760.00	-	-
0141	126	0.0014				
0141	136	0.00253				
भूदत्त अन्य सम्पत्ति का विवरण		देय कुल मूल्य (योग कॉलम-5, 7, 9)	व्यक्ति/व्यक्तियों का/के नाम और पता जिनको देय है और उनका परिमाण			
विवरण	मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में)		नाम	पिता/पति का नाम	पता	
08	09	10	11			
		113760.00	ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	स्टेशन रोड लाइन पुरवा मरिजव के पास रफी नगर नवाबगंज बाराबंकी	




उप सचिव
 अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



नोट :- मैने आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु निष्पादित किये जाने वाले इस समझौता पत्र से सम्बन्धित समस्त शर्तों को सुनकर/पढ़कर भली-भांति समझ लिया है तथा इन शर्तों से सहमत हूँ।

- भूस्वामी/भूस्वामियों के हस्ताक्षर

क्र० सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
1	ताहा चर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	स्टेशन रोड लाइन पुरवा मस्जिद के पास रफी नगर नयाबगंज बाराबंकी	

गवाह /अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
ओम प्रकाश	स्व० राजबली प्रसाद	7607778903	नौकरी	अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या।	



उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008330

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6831

वर्ष: 2023

प्रतिफल- 113760 स्टाम्प शुल्क- 7980 बाजारी मूल्य - 114000 पंजीकरण शुल्क - 1140 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 1220

श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा
स्वर्णिम राज अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री शरद कुमार
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या




श्री, अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा

स्वर्णिम राज अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/10/2023 एवं
04:05:18 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर


राजेश सिंह
उप निबंधक : सोहाबत
अयोध्या
20/10/2023

निबंधक लिपिक
20/10/2023

प्रिंट करे



गवाह / अभिसाक्षी

नाम	पिता/पति का नाम	मोबाइल नम्बर	व्यवसाय	पता	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
उपमा कहल	ए.ए.ए.ए. ए.ए.ए.	9457230009	कॉन्क्रीट	ए.ए.ए.ए.ए. ए.ए.ए.ए.ए.	upma kahl

उपसचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या
क्रय निकाय की ओर से अधिकृत,
(स्वर्णिम राज)
उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण,
अयोध्या।


upma kahl

उपसचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या


वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 6831

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त विक्रेता: 1

श्री ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा, पुत्र श्री उस्मान हुसैन
निवासी: स्टेशन रोड लाइन पुरवा मस्जिद के पास रफी नगर
नवाबगंज बाराबंकी
व्यवसाय: नौकरी
क्रेता: 1




श्री अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वर्णिम राज, पुत्र श्री
शरद कुमार
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री ओम प्रकाश, पुत्र श्री स्व राजबली प्रसाद
निवासी: अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या
व्यवसाय: नौकरी
पहचानकर्ता: 2



श्री उसमान अहमद, पुत्र श्री एतिजाद रसूल
निवासी: लखपेठा बाग, नगर, बाराबंकी
व्यवसाय: नौकरी



नेकी प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार तिर गए हैं।
दिप्पणी:



रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर

रिहल सिंह
उप-निबंधक : सोहावल
अयोध्या
20/10/2023

निबंधक लिपिक अयोध्या
20/10/2023

बिंदू करें

हम सभी लोग जनपद अयोध्या में समग्र विकास हेतु वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना हेतु चयनित भूमि हेतु हम लोग आपसी सहमत के आधार पर निम्न प्रकार से अपनी भूमि ग्राम- फिरोजपुर उपरहार परगना मगलसी तहसील सोहावल जनपद- अयोध्या स्थित भूमि का विक्रय कर रहे हैं। हम सभी लोग सहखातेदारी की भूमि में अपने हिस्से के अनुसार अपनी भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद हिस्से के सम्बन्ध में होता है तो हम सभी लोग स्वयं जिम्मेदार होंगे।

गाटा सं०	विक्रेता का नाम	पिता/पति का नाम	विक्रेता का अंश/विक्रित क्षेत्रफल	शपथकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5
125	ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	0.00275	<i>mahafah</i>
126	ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	0.0014	<i>mahafah</i>
136	ताहा उर्फ मोहम्मद ताहा	उस्मान हुसैन	0.00253	<i>mahafah</i>

निष्पादन का दिनांक:- 20/10/23
स्थान - सोहावल, अयोध्या।




उप सचिव
अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या

आवेदन सं०: 202300904008330

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 3162 के पृष्ठ 339 से 360 तक क्रमांक
6831 पर दिनांक 20/10/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



राहुल सिंह,

उप निबंधक : सोहावल

अयोध्या

20/10/2023

